

किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत है। विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की संख्या खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है, जिनका विधिक विभाजन नहीं हुआ है किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 उक्त आराजी के विशिष्ट भू-भाग/खसरा नम्बर को अन्यत्र रहन, बेचान, मुंतकिल अथवा अन्यथा हस्तान्तरण करने व निर्माण करने पर सख्त आमादा है। यदि वे ऐसा करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारित होना संभावित है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 12.03.2026 तक पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम पदमपुरा, पटवार हल्का चाचियावास, तहसील अजमेर स्थित वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे। यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश राजकार्य एवं रास्ते के विवाद के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.03.2026 को पेश हो।

न्यायालय श्रीमान सहायक  
राजस्व प्रार्थना पत्र  
राजस्व सिंह पु  
तहसील व

सहायक कलेक्टर (मु०)  
अजमेर

दिनांक 12/3/26  
राजस्व प्रार्थना पत्र  
को पेश हो।

दिनांक 30/3/26 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष आज समय चाहते हैं। मित्र दिनांक 24/2/26 को वास्ते तलक पेश हो।

न्यायालय  
सहायक कलेक्टर

सहायक कलेक्टर (मु०), अजमेर

12/3/26

वहील डमकर के डेवलपमेंट  
केन्द्र डमकर जमी एवं डमकर डमकरा  
के डमकर डमकर डमकर डमकरा  
डमकर डमकर डमकरा के नातो जमी एवं  
वादी डमकर डमकरा डमकरा डमकरा  
डमकरा डमकरा डमकरा डमकरा डमकरा  
डमकरा डमकरा डमकरा डमकरा डमकरा  
डमकरा डमकरा डमकरा डमकरा डमकरा  
डमकरा डमकरा डमकरा डमकरा डमकरा

सहायक कलेक्टर (मु०), अजमेर